

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या-30/XXX(2)/2018-30(13) 2017 दिनांक 06.02.2018 तथा शासनादेश संख्या 282747/XXX (2) /2025-E- 20917 दिनांक 17.03.2025 तथा शासनादेश संख्या 1/289938 /XXX (2) /2025-E- 33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री कमलेश कुमार जोशी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़	संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी	जनहित

श्री कमलेश कुमार जोशी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त अॉवटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री जोशी का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/2624/स्था०अनु०-1/लि०सं०/स्थाना०/2025-26/दिनांक 10-06-25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री कमलेश कुमार जोशी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री जोशी को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोडा।
4. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी को इस आशय से कि श्री जोशी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


(डा०ए०के०वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या-30/XXX(2)/2018-30(13) 2017 दिनांक 06.02.2018 तथा शासनादेश संख्या 282747/XXX (2) /2025-E- 20917 दिनांक 17.03.2025 तथा शासनादेश संख्या 1/289938 /XXX (2) /2025-E- 33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री संजय कुमार उप्रेती, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी	मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़	जनहित

श्री संजय कुमार उप्रेती, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री उप्रेती का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(कै०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/2625/स्था०अनु०-1/लि०सं०/स्थाना०/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री संजय कुमार उप्रेती, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
2. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री उप्रेती के आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़ को इस आशय से कि श्री उप्रेती की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


(डा०ए०के०वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या-30/XXX(2)/2018-30(13) 2017 दिनांक 06.02.2018 तथा शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 तथा शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025-E-33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री प्रकाश शाह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	जनहित

श्री प्रकाश शाह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री शाह का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/2626/स्था०अनु०-1/लि०सं०/स्थाना०/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री प्रकाश शाह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री शाह को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से कि श्री शाह की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


(डा०ए०के०वमा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या-30/XXX(2)/2018-30(13) 2017 दिनांक 06.02.2018 तथा शासनादेश संख्या 282747/XXX (2) /2025-E- 20917 दिनांक 17.03.2025 तथा शासनादेश संख्या 1/289938 /XXX (2) /2025-E- 33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के समुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री राजीव जोशी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत	मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल	जनहित

श्री राजीव जोशी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री जोशी का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/2627/स्था०अनु०-1/लि०सं०/स्थाना०/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री राजीव जोशी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री जोशी को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से कि श्री जोशी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।



(डा०ए०के०वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या-30/XXX(2)/2018-30(13) 2017 दिनांक 06.02.2018 तथा शासनादेश संख्या 282747/XXX (2) /2025-E- 20917 दिनांक 17.03.2025 तथा शासनादेश संख्या 1/289938 /XXX (2) /2025-E- 33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्नांकित कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती रिकी रावत, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी	जनहित

श्रीमती रिकी रावत, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती रावत का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/2628/स्था०अनु०-1/लि०सं०/स्थाना०/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती रिकी रावत, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती रावत के आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय से कि श्रीमती रावत की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


(डा०ए०के०वमा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या-30/XXX(2)/2018-30(13) 2017 दिनांक 06.02.2018 तथा शासनादेश संख्या 282747/XXX (2) /2025-E- 20917 दिनांक 17.03.2025 तथा शासनादेश संख्या 1/289938 /XXX (2) /2025-E- 33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क0 सं0	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रघुनन्दन सिंह निगलियां, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल	मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत	जनहित

श्री रघुनन्दन सिंह निगलियां, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री निगलियां का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(के0सी0पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ0नि0/2629/स्था0अनु0-1/लि0सं0/स्थाना0/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री रघुनन्दन सिंह निगलियां, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री निगलियां को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत को इस आशय से कि श्री निगलियां की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


(डा0ए0के0वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या-30/XXX(2)/2018-30(13) 2017 दिनांक 06.02.2018 तथा शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 तथा शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025-E-33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री गणेश चन्द्र भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी	जनहित

श्री गणेश चन्द्र भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री भट्ट का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/ 2630/स्था०अनु०-1/लि०सं०/स्थाना०/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री गणेश चन्द्र भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री भट्ट को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी को इस आशय से कि श्री भट्ट की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल हल्द्वानी।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


(डा०ए०के०वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या-30/XXX(2)/2018-30(13) 2017 दिनांक 06.02.2018 तथा शासनादेश संख्या 282747/XXX (2) /2025-E- 20917 दिनांक 17.03.2025 तथा शासनादेश संख्या 1/289938 /XXX (2) /2025-E- 33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री खलकुज्जमा, प्रशासनिक अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट	जनहित

श्री खलकुज्जमा, प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री खलकुज्जमा का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/ 2631 /स्था०अनु०-1 /लि०सं०/ स्थाना०/ 2025-26 /दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री खलकुज्जमा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री खलकुज्जमा को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट को इस आशय से कि श्री खलकुज्जमा की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी/ टिहरी गढ़वाल नरेन्द्रनगर।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


(डा०ए०के०वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या-30/XXX(2)/2018-30(13) 2017 दिनांक 06.02.2018 तथा शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 तथा शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025-E-33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क0 सं0	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री शाहनवाजउल्ला, वरिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण	जनहित

श्री शाहनवाजउल्ला, वरिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री शाहनवाजउल्ला का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(कै0सी0पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ0नि0/2632/स्था0अनु0-1/लि0सं0/स्थाना0/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री शाहनवाजउल्ला, वरिष्ठ सहायक द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर उधमसिंह नगर।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री शाहनवाजउल्ला को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण को इस आशय से कि श्री शाहनवाजउल्ला की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, उधमसिंह नगर/ अल्मोडा।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


(डा0ए0कै0वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या-30/XXX(2)/2018-30(13) 2017 दिनांक 06.02.2018 तथा शासनादेश संख्या 282747/XXX (2) /2025-E- 20917 दिनांक 17.03.2025 तथा शासनादेश संख्या 1/289938 /XXX (2) /2025-E- 33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री प्रमोद गौनियाल , कनिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी	आई.पी.एम.प्रयो. दे०दून कृषि निदेशालय परिसर	स्वयं के अनुरोध

श्री प्रमोद गौनियाल, कनिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री गौनियाल का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/ 2633 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/स्थाना०/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री प्रमोद गौनियाल, कनिष्ठ सहायक द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री गौनियाल को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. स्थापना सहायक/ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी स्थापना।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड।
7. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


(डा०ए०के०वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून